न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्याः 02/2023

प्रार्थी

प्रशासक, ग्रामदानी ग्रामसभा, अनादरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. अध्यक्ष, श्री करोडीध्वज जी माफी मन्दिर ट्रस्ट, अनादरा, तह. रेवदर,जिला–सिरोही
2. स्व. श्री भीखाराम पुत्र अमरा जी, जाति–कलबी, निवासी–अनादरा के उत्तराधिकारीः–

2/1. अर्जुनराम पुत्र रणछोड़ जी, जाति–कलबी, निवासी–अनादरा, तहसील–रेवदर, जिला– सिरोही (अव्यस्क) की कुदरती वली माता द्रोपीबाई, जाति–कलबी, निवासी–अनादरा, तहसील–रेवदर, जिला– सिरोही

2/2. विष्णु कुमार पुत्र रणछोड़ जी, जाति–कलबी, निवासी–अनादरा, तहसील–रेवदर, जिला– सिरोही (अव्यस्क) की कुदरती वली माता द्रोपीबाई, जाति–कलबी, निवासी–अनादरा, तहसील–रेवदर, जिला– सिरोही

2/3. जीवा पुत्र भीखा जी, जाति–कलबी, निवासी–अनादरा, तहसील–रेवदर

2/4. दिपा पुत्र भीखा जी, जाति–कलबी, निवासी–अनादरा, तहसील–रेवदर, जिला–सिरोही, मृतक के उत्तराधिकारीः–

2/4/1. अमृत पुत्र दिपाराम, जाति–कलबी, निवासी–अनादरा, तहसील–रेवदर

2/4/2. मंजुदेवी पुत्री दिपाराम, जाति–कलबी, निवासी–अनादरा, तहसील–रेवदर

2/4/3. जोशनादेवी पुत्री दिपाराम, जाति–कलबी, निवासी–अनादरा, तहसील–रेवदर

2/4/4. पंकुदेवी पत्नी दिपाराम, जाति–कलबी, निवासी–अनादरा, तहसील–रेवदर

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा, अप्रार्थी संख्या–1 (एक) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 05 फरवरी, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी प्रशासक, ग्रामदानी ग्रामसभा, अनादरा की ओर से यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध वर्तमान खतौनी जमाबंदी में अंकित निम्न कृषि भूमि जिसका विवरण निम्न प्रकार है को ग्रामदानी ग्रामसभा, अनादरा के राजस्व रेकर्ड में ग्रामदानी ग्रामसभा, अनादरा के नाम दर्ज कराने एवं विवादित भूमि की राजस्व रेकर्ड में पूर्ववर्ती स्थिति बिलानाम दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत किया गया हैः–

नाम ग्राम, पटवार हल्का व तहसील	जमाबंदी संवत	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा	किस्म भूमि
ग्राम अनादरा, ग्रामदानी ग्रामराभा, अनादरा, पटवार हल्का अनादरा, तहसील–रेवदर, जिला–सिरोही	2066 से 2069	872	1855	2–14 बीघा	नाडी

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2011 में पारित निर्णय दिनांक 29.5.2012 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पी.एल.पी.सी. संख्या 02/2019 में पारित निर्णय दिनांक 18.01.2022 की पालना में अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर

....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Scanned with CamScanner

अनुरोध किया है कि ग्राम अनादरा के खसरा संख्या 1855 रकबा 2–14 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाडा के रूप में दर्ज है। ग्राम अनादरा के खसरा संख्या 1855 रकबा 2–14 बीघा किस्म गै.मु.नाडा की भूमि मिसल बन्दोबस्त संवत् 2014–2033 तक खाता संख्या 505 में माफी बनाम मन्दिर श्री करोडीध्वज वाके बएतमाम पुजारी रामेश्वरदास चेला छगनदास, कौम साद साकिन देह के नाम दर्ज हैं। वर्तमान जमाबंदी खतौनी संवत 2066–2069 के खाता संख्या 872 में दर्ज उक्त भूमि खसरा संख्या 1855 रकबा 2–14 बीघा किस्म नाडी के खसरा रूप में अध्यक्ष, श्री करोडीध्वज जी माफी मंदिर ट्रस्ट, अनादरा हिस्सा 2/3 एवं भीखा पुत्र अमरा, जाति–कलबी, साकिन देह हिस्सा 1/3 खातेदार के नाम दर्ज है। वर्तमान जमाबंदी में अंकित उक्त खातेदार भीखा वल्द अमरा, जाति– कलबी की मृत्यु हो चुकी है तथा यह भूमि माफी मंदिर के ट्रस्ट के अधीन और गैर मुमकिन नाडा होने से उत्तराधिकारियों का नामान्तरकरण दायर नहीं किया गया है और भीखा पुत्र अमरा कलबी द्वारा इसी ग्राम धारित अन्य जगह की भूमि खाता संख्या 17 में वारिसदारों के नाम नामान्तरण दायर किया जा चुका है, लेकिन आलौच्य खसरे की भूमि की किस्म नाडी होने के कारण उत्तराधिकारियो के नाम नामान्तरण दायर नहीं किया गया है। उक्त खसरा संख्या 1855 रकबा 2–14 बीघा भूमि प्रथम भू–प्रबन्ध के समय तैयार अभिलेख अर्थात मिसल बंदोबस्त संवत् 2014 से 2033 वर्ष 1957 से ही गै.मु. नाडा के रूप में दर्ज थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने पश्चात् (15.10.1955) से उक्त भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया गया है, परन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अनुसार नाडा/नाडी की भूमि जल भराव संग्रहण क्षेत्र की भूमि होने से आवंटन/नियमन हेतु प्रतिबंधित हैं तथा उक्त प्रकार की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो सकते है। अतः प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्रांम अनादरा के खसरा संख्या 1855 रकबा 2–14 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाडा की भूमि को ग्रामदानी ग्रामसभा, अनादरा के नाम से राजस्व रेकर्ड में बिलानाम भूमि दर्ज करवाने की कार्यवाही करावे।

(2) प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–1 (एक) अध्यक्ष, श्री करोडीध्वज जी माफी मन्दिर ट्रस्ट, अनादरा की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या– 1 (एक) अध्यक्ष, श्री करोडीध्वज जी माफी मन्दिर ट्रस्ट, अनादरा की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/3 व 2/4/1 से 2/4/4 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये एवं न ही इनकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। अतः अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/3 व 2/4/1 से 2/4/4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(3) प्रकरण में दिनांक 31.01.2025 को बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित ने प्रार्थी प्रशासक, ग्रामदानी ग्रामसभा, अनादरा के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम अनादरा, ग्रामदानी ग्रामसभा, अनादरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही के जमाबंदी खतौनी संवत 2066–2069 में खाता संख्या 872 खसरा संख्या 1855 रकबा 2–14 बीघा किस्म नाडी के खसरा रूप में अध्यक्ष, श्री करोडीध्वज जी माफी मंदिर ट्रस्ट, अनादरा हिस्सा 2/3 एवं भीखा पुत्र अमरा, जाति–कलबी, साकिन देह हिस्सा 1/3 खातेदार के नाम दर्ज है। ग्राम अनादरा के खसरा संख्या 1855 रकबा 2–14 बीघा किस्म गै.मु.नाडा की भूमि मिसल बन्दोबस्त संवत् 2014–2033 तक खाता संख्या 505 में माफी बनाम मन्दिर श्री करोडीध्वज वाके बएतमाम पुजारी रामेश्वरदास चेला छगनदास, कौम साद साकिन देह के नाम दर्ज हैं। उक्त जमाबन्दी में अंकित खातेदार भीखा वल्द अमरा, जाति–

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Scanned with CamScanner

कलबी की मृत्यु हो चुकी है तथा यह भूमि माफी मंदिर के ट्रस्ट के अधीन और गैर मुमकिन नाडा होने से उत्तराधिकारियों का नामान्तरण दायर नहीं किया गया है। उक्त खसरा संख्या 1855 रकबा 2—14 बीघा भूमि प्रथम भू—प्रबन्ध के समय तैयार अभिलेख अर्थात् मिसल बंदोबस्त संवत् 2014 से 2033 वर्ष 1957 से ही गै.मु. नाडा के रूप में दर्ज थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने पश्चात् (15.10.1955) से उक्त भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया गया है, परन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अनुसार नाडा/नाडी की भूमि जल भराव संग्रहण क्षेत्र की भूमि होने से आवंटन/नियमन हेतु प्रतिबंधित हैं तथा उक्त प्रकार की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो सकते है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2011 में पारित निर्णय दिनांक 29.5.2012 के द्वारा जलग्रहण व जलबहाव क्षेत्र की प्रतिबन्धित किस्म भूमियों की पूर्ववर्ती स्थिति बिलनाम दर्ज करने के आदेश दिये गये है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश की पालना में पी.एल.पी.सी. में दर्ज प्रकरण संख्या 02/2019 की पालना में प्रार्थी ने यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम अनादरा के खसरा संख्या 1855 रकबा 2—14 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाडा की भूमि को ग्रामदानी ग्रामसभा, अनादरा के नाम से राजस्व रेकर्ड में बिलानाम भूमि दर्ज करवाने की कार्यवाही करावे। जबकि अप्रार्थी संख्या—1 (एक) अध्यक्ष, श्री करोडीध्वज जी माफी मन्दिर ट्रस्ट, अनादरा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि खसरा संख्या 1855 की भूमि अप्रार्थी श्री करोडीध्वज जी माफी मन्दिर ट्रस्ट, अनादरा के कब्जे खातेदारी की कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि श्री करोडीध्वज जी मन्दिर के कोठार के सामने अनादरा — रेवदर सडक सीमा से लगती हुई आई हुई है। उक्त भूमि के आस पास पी.डब्ल्यू.डी. के खातेदारी की भूमि एवं उससे लगती श्मशान की भूमि आई हुई है। उक्त कृषि भूमि कभी भी गैर मुमकिन बिलानाम भूमि नहीं रही है। उक्त भूमि में मौके पर नाडी स्थित नहीं है, वरन् उक्त भूमि के आस—पास घनी आबादी भूमि है। सेटलमेन्ट के समय पर भी उक्त भूमि करोडीध्वज जी मन्दिर की भूमि रही है। उक्त खसरा संख्या 1855 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा भूमि मिसल बन्दोबस्त संवत् 2014 से 2033 तक मन्दिर श्री करोडीध्वज वाके ग्राम अनादरा के नाम से राजस्व रेकर्ड खातेदारी में दर्ज रही है। उक्त भूमि में पुजारीयों के खातेदारी हक अधिकार कभी भी निहित नहीं हुए है। उक्त भूमि पर भीखाराम पुत्र अमरा कलबी निवासी— अनादरा एवं उसके वारिसान अर्जुनराम विष्णु कुमार पिसरान रणछोड वगैराह का कब्जा, खातेदारी हक अधिकार कभी नहीं रहा है। खसरा संख्या 1855 की सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थी श्री करोडीध्वज जी मंदिर ट्रस्ट के खातेदारी की कृषि भूमि है। वर्तमान जमाबन्दी खतौनी संख्या 2066 से 2069 के खाता संख्या 872 में खसरा संख्या 1855 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि सम्पूर्ण श्री करोडीध्वजजी माफी मन्दिर ट्रस्ट अनादरा के खातेदारी की भूमि है, जिससे उक्त कृषि भूमि की जमाबन्दी में करोडीध्वजजी मन्दिर का नाम बतौर खातेदार कृषक अंकित होना लाजमी है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में भीखा पुत्र अमरा जी कलबी का नाम गलत रूप से अंकित हुआ है, जो निरस्त किया जाना न्यायसंगत है। भीखा वल्द अमरा कौम कलबी के वारिसान के नाम प्रश्नगत भूमि का नामान्तरणकरण नही किया जा सकता है। चूंकि अनादरा ग्राम ग्रामदानी गांव है। ग्रामदानी गांव की समस्त राजस्व भूमि के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय में या दिवानी न्यायालय में वाद, आवेदन या अन्य कोई कार्यवाही प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। ग्रामदानी गांव की भूमि के सम्बन्ध में वाद, आवेदन, रेफरेन्स की सुनवाई करने का अधिकार राजस्व न्यायालय एवं सिविल न्यायालय को नहीं है, इसलिये प्रार्थी का यह आवेदन धारा 46 राजस्थान ग्रामदान अधिनियम के प्रावधान अनुसार विधि में वर्जित है।

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Scanned with CamScanner

उक्त कृषि भूमि शुरू से अप्रार्थी श्री करोडीध्वज जी माफी मन्दिर ट्रस्ट, अनादरा के खातेदारी की कृषि भूमि रही है। अप्रार्थी श्री करोडीध्वज जी माफी मन्दिर ट्रस्ट, अनादरा, सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के अधीन पंजीकृत सार्वजनिक प्रन्यास है। अप्रार्थी श्री करोडीध्वज जी माफी मन्दिर के सार्वजनिक प्रन्यास का नाम श्री करोडीध्वज मन्दिर ट्रस्ट अनादरा, तहसील रेवदर, जिला सिरोही है। उक्त ट्रस्ट की पंजीयन संख्या 05/96/सिरोही है। उक्त ट्रस्ट के पंजीयन का प्रमाण पत्र सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर द्वारा जारी किया गया है। उक्त ट्रस्ट की सम्पत्ति में अन्य कृषि भूमि के साथ–साथ खसरा संख्या 1855 की 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि सम्मिलित है। जिसका सत्यापन सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर द्वारा पूर्व में किया जा चुका है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि विधिवत गठित सार्वजनिक प्रन्यास, अप्रार्थी श्री करोडीध्वज जी माफी मन्दिर ट्रस्ट, अनादरा की सम्पत्ति है। अप्रार्थी श्री करोडीध्वज जी माफी मन्दिर ट्रस्ट, अनादरा के ट्रस्ट की उपरोक्त वर्णित भूमि का इन्द्राज प्रार्थी को उसके नाम से करवाने का विधि में कोई अधिकार नहीं है। खसरा संख्या 1855 की भूमि पर मौके पर कभी भी किसी प्रकार की कोई नाडी नहीं रही है। उक्त भूमि मौके पर समतल भूमि है, जो अप्रार्थी श्री करोडीध्वज जी माफी मन्दिर ट्रस्ट, अनादरा के कब्जे, स्वामित्व की भूमि है। प्रश्नगत भूमि दिनांक 15.10.1955 से पूर्व से करोडीधवज मन्दिर के कब्जे अधिकार की भूमि रही है। प्रश्नगत भूमि पर सार्वजनिक नाडी कभी नहीं रही है। प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थी श्री करोडीध्वज जी माफी मन्दिर ट्रस्ट, अनादरा द्वारा खेती करवायी जाती रही है। ग्रामदानी ग्राम की राजस्व भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी कोई राहत प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। तथाकथित नाडी की भूमि में जल भराव व जल संग्रहण कभी नहीं हुआ है। उक्त सम्पत्ति श्री करोडीध्वज मन्दिर की भूमि रही है एवं है। उक्त भूमि में किसी भी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के कोई सार्वजनिक हित, रस, अधिकार एवं स्वत्व पैदा नहीं हुए है। प्रार्थी को अप्रार्थी श्री करोडीध्वज जी मंदिर ट्रस्ट की भूमि में किसी प्रकार के कोई अधिकार उत्पन्न नहीं हुए है। अतः प्रार्थी प्रशासक, ग्रामदानी ग्राम सभा, अनादरा का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रार्थी प्रशासक, ग्रामदानी ग्रामसभा, अनादरा द्वारा यह प्रार्थना पत्र, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2011 सुओमोटा बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 29.5.2012 की पालना में एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 481/2022 जवानसिंह व अन्य बनाम स्टेट में पारित निर्णय दिनांक 18.01.2022 की पालना में पी.एल.पी.सी. में दर्ज प्रकरण संख्या 02/2019 की अनुपालना में जमाबन्दी में अंकित निम्न कृषि भूमि की ग्रामदानी ग्रामसभा, अनादरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही के राजस्व रेकर्ड में पूर्ववर्ती स्थिति बहाल करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया है:–

नाम ग्राम, पटवार हल्का व तहसील	जमाबंदी संवत	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा	किस्म भूमि
ग्राम अनादरा, ग्रामदानी ग्रामसभा, अनादरा, पटवार हल्का अनादरा, तहसील–रेवदर, जिला–सिरोही	2066–2069	872	1855	2–14 बीघा	नाडी

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी खतौनी बन्दोबस्त संवत 2014 से 2033 के अनुसार ग्राम अनादरा के खाता संख्या 505 खसरा संख्या 1855 किस्म गै.मु. नाडा भूमि माफी बनाम मन्दिर श्री करोडीध्वज वाके बएतमाम पुजारी रामेश्वरदास चेला छगनदास,

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Scanned with CamScanner

कौम साद सा. देह के नाम से दर्ज है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने के पश्चात् उक्त भूमि का आवंटन/नियमन नही हुआ है, लेकिन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अर्न्तगत राजस्व रेकर्ड में दर्ज झील, तालाब, नाडी, नदी, नाला आदि जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि का आवंटन एवं नियमन नही हो सकता है एवं ऐसी भूमियों पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होते है।

इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 02.8.2004 में यह अभिमत व्यक्त किया है कि:– **"All Land shown drainage like nalla, riveres, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Govt. land & any conversion made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevent act & rules must be amended accordingly.**

----In the Government Owend Lakes and other water bodies, the khatedari right of private person in there submergence area should be brought under the ownership of the government. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2011 सुओमोटा बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 29.5.2012 में भी जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि की पुर्ववर्ती स्थिति बहाल करने के निर्देश दिये है।

राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971 की धारा 46 (1) के अनुसार "इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी भी सिविल अथवा राजस्व न्यायालय की ऐसे किसी मामलें के बारे में अधिकारिता नही होगी जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा तय किया जाना, विनिश्चित किया जाना या जिस पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।" परन्तु उक्त प्रश्नगत भूमि नाडी किस्म की भूमि है, जो जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है एवं ऐसी भूमियों पर खातेदारी अधिकारी प्रोद्भूत नही होते है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी उक्त रिट याचिकाओं में पारित निर्णय/आदेश में जलग्रहण व जलबहाव क्षेत्र की भूमियों के आवंटन/नियमन एवं ऐसी भूमियों पर खातेदारी अधिकारों को विधि विरुद्ध मानते हुए ऐसी भूमियों की राजस्व रेकर्ड में पूर्ववर्ती स्थिति बहाल कर बिलानाम दर्ज करने के आदेश दिये गये है। ऐसी स्थिति में, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त आदेश/निर्देशों की पालना में उक्त प्रश्नगत भूमि की राजस्व रेकर्ड में पूर्ववर्ती स्थिति बहाल करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफर किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र, प्रार्थी अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी भूमि ग्राम अनादरा, ग्रामदानी ग्रामसभा, अनादरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही की वर्तमान जमाबन्दी में अंकित स्थिति खसरा संख्या 1855 रकबा 2–14 बीघा किस्म नाडी के स्थान पर भू अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज अप्रार्थीगण की प्रविष्ठियां विलोपित की जाकर प्रश्नगत भूमि जमाबन्दी में ग्रामदानी ग्रामसभा, अनादरा के नाम से बिलानाम किस्म गै.मु. नाडा भूमि दर्ज करवाने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

पक्षकारान वास्ते सुनवाई माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में आयन्दा दिनांक 20.3.2025 को उपस्थित होवे। निर्णय सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Scanned with CamScanner